Order Sheet [Contd] Case No 171,172/2017 बी.ए

	Case No 1/1	1,172/2017 91.9
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
06-05-17	आवेदक/आरोपीगण स्यामिसंह एवं अनिल की ओर से श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अमियोजक। पुलिस थाना गोहद से अप०क० 89/17 धारा 379, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। असे पक्षों के आवेदनपत्रों पर तर्क श्रवण किए गए। आवेदक/आरोपी श्यामिसंह एवं अनिल की ओर से प्रथक प्रथक आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फौ० कमशः आवेदन कमांक 171/17 बी.ए., 172/17 बी.ए प्रस्तुत किये गए है, जो कि थाना गोहद के अप०क० 80/17 से संबंधित है। अतः उक्त दोनों आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्रों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। मूल आदेश जमानत आवेदनपत्र कमांक 171/17 बी.ए में किया जा रहा है, जिसकी सत्यप्रतिलिपि जमानत आवेदनपत्र कमांक 171/17 के साथ संलग्न की जा रही है। आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत करना बताते हुए निवेदन है कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की झूढी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदकगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक अनिल छात्र है एवं उक्त दोनों ही आवेदकगण अमिरक्षा में जिन्हें जमानत पर मुक्त नहीं किया गया तो उनका भविष्य खराब हो जावेगा एवं परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि गांव के सर्पंच सब्बीर खाँ ने चुनावी रंजिश पर से चुनाव लडने वाले साथियों के नाम मिथ्या रूप से प्रकरण में लेख कराए है, जबिक वह भूसा अन्य स्थान से ला रहे थे। प्रकरण का अक्लोकन किया गया, जिससे दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने फरियादी अमरसिंह के खेतों में से बीस हजार रूपए की कीमत के भूसे कारी का आरोप है। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण से अनुसंधान के दौरान कोई कस्तु जपत की जानी हो या अनुसंधान में आवश्यकता हो ऐसा नहीं	A THIEF TO SERVICE THE PARTY OF

दर्शाया गया है। आवेदक / अनावेदकगण न्यायिक निरोध में है, प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरोपित कृत्य न्यायिक मजिस्द्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है।

अतः अपराध के स्वरूप प्रकरण की परिस्थिति एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होते है। 🏑

अतः आवेदक / अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि उनकी ओर से क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 15000/- 15000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र पेश हो तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर छोडा जावे।

शर्ते –

- आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।

आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट गोहद को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

> आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे। ALIMONIA PAREJON BUILTING STRICTS STRI प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।